(58)

टिकिट उपलब्ध होने पर चस्पा किये जावेंगे।

समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

R. 2996-III/13

हरिकांत उर्फ मक्खन तनय रामगोपाल रेजा,
निवासी ग्राम– अमानगंज, तहसील–गन्नौर, जिला–पन्ना म.प्र.

..........................पुनरीक्षणकर्ता

B.O.R.
23 JUL 2013

// विरूद्ध //

1. भरतलाल तनय मकुंदीलाल बडेरिया,
2. कुन्दर पिता कन्हैयालाल चमार,
3. किशन पिता कुंदर,
4. परमा पिता कुंदर,
5. दरवारी पिता कुंदर,
6. बन्टू पिता कुंदर,
7. हलके पिता कुंदर,
   सभी निवासी ग्राम–अमानगंज, तहसील–गुनौर, ज़िला–पन्ना म.प्र.
8. सुरेन्द्र कुमार खरे,
   पटवारी हल्का अमानगंज, तहसील–गुन्नौर, जिला–सागर म.प्र
9. राजस्व निरीक्षक अमानगंज,
   तहसील–गुन्नौर, जिला–पन्ना म.प्र.

..................................प्रत्यर्थीगण

27-7-13

दिनांक 30/7/13 को पेशी हेतु प्रस्तुत

30/7/13

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

पुनरीक्षणकर्ता, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर सागर संभग सागर द्वारा निगरानी प्र.क्र.–666 ए/12, वर्ष 2009–10 में पारित आदेश दिनॉक 27/05/2013 से पीड़ित होकर निम्न पुनरीक्षण याचिका निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है।

// प्रकरण का संक्षेप //

1. यह कि प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता हरिकांत, अमानगंज, तहसील–गुन्नौर, जिला–पन्ना, स्थित भूमि खसरा नंबर–1160/3 ख एक हजार एक सौ साठ बटे तीन ख, रकबा–1.316 एक दसमलव तीन एक छः हेक्टेयर का स्वत्वाधिकारी व रिकार्डेड भूमिस्वामी है।

23.7.13

2.8.13

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2996–तीन/13 जिला– पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
2.03.16	आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई । कोई उपस्थित नहीं । अतः वह लगभग 17 पेशियों से अनुपस्थित होने के कारण तथा प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	